



RAJASTHAN NURSING COUNCIL JAIPUR



(Govt. of Rajasthan)

B-39, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur, Ph- 2222923, 2222099

क्रमांक / आर.एन.सी / लेखा / 2020 / 4142

दिनांक 25/09/20

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य में राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित जी.एन.एम/ए.एन.एम नर्सिंग स्कूलों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि आर.एन.सी द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं अन्य आवेदन (रजिस्ट्रेशन) के साथ जो भी शुल्क (डी.डी.) भिजवाया जाता है। आवेदन से अधिक राशि होने पर राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। अधिक राशि का भुगतान होने आर.एन.सी में जमा होने के पश्चात् वापिस संस्था को रिफण्ड नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।

(महेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. उपशासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. पदेन अध्यक्ष आर.एन.सी, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग
4. समस्त प्रधानाचार्य स्कूल ऑफ नर्सिंग / ए.एन. एम टी.सी
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर